Aniruddhe Mukerjee (I.A.S.)
Principal Secretary, Environment &
Chairman, M.P. Pollution Control Board

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 17 मार्च, 2022

क्रमांक \\ /अध्यक्ष/म.प्र.प्र.नि.बो/2022- .पर्यावरण विभाग के पत्र क्रमांक 317/1040/2021-32-3, दिनांक 17 मार्च, 2022 द्वारा अधिसूचना क्रमांक/2396/2017/16-5, दिनांक 1.9.2017 अधिग्रहित होने तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 12 (2) सदस्य-सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो बोर्ड या उसके अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएं, के प्रावधान के संदर्भ में कार्य सुविधा की दृष्टि से अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मध्य वित्तीय, प्रशासकीय एवं अन्य शक्तियों का प्रत्यायोजन, एतद् द्वारा निम्नानुसार किया जाता है :-

वित्तीय शक्तियाँ :

क्र	वित्तीय शक्तियों की विशिष्टयाँ	क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	राज्य बोर्ड
1	सिविल निर्माण कार्यो का अनुमान, अनुमोदन एवं प्रशासकीय स्वीकृति के प्रस्ताव । एवं बोर्ड के भवनो की मरम्मत संबंधी कार्य।	-	रूपये 5 लाख तक मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग के समकक्ष ।	-	पूर्ण शक्तियाँ
2	भवन किराये से लेना।	-	एक भवन हेतु रूपये 50,000 प्रतिमाह	-	पूर्ण शक्तियाँ
3	रिजर्व फण्ड एवं आधिक्य का उपयोग पर्यावरण गतिविधियों हेतु	-	-	-	पूर्ण शक्तियाँ
4	बैंक में खाता खोलना/बंद करना, निधियों का विनिधान अथवा विनियोजन	खाता खोलने एवं बंद करने की पूर्ण शक्तियाँ	खाता खोलने एवं बंद करने की पूर्ण शक्तियाँ तथा एक बार में रूपये एक करोड तक का विनिधान	पूर्ण शक्तियाँ	-
5	प्रयोगशाला उपकरण क्रय	-	भण्डार क्रय नियम अनुसार ।	-	पूर्ण शक्तियाँ

5.1	प्रयोगशाला उपकरणों का वार्षिक रख-रखाव एवं सुधार कार्य	रूपये 50000/- प्रति उपकरण, प्रतिवर्ष एएमसी एवं रूपये 50000 प्रति उपकरण सुधार कार्य	रूपये 5 लाख प्रति उपकरण तक एएमसी एवं रूपये 1 लाख प्रति उपकरण तक सुधार कार्य	-	पूर्ण शक्ति
6	कम्प्यूटर, प्रिंटर एवं इससे संबंधित अन्य उपकरण	एक बार में रूपये एक लाख तक	एक बार में रूपये दस लाख तक (बुक ऑफ फाइनेंशिअल पावर भाग-1 बिन्दु 5.3 अनुसार विभागाध्यक्ष को प्रदत्त अधिकार अनुसार)	-	पूर्ण शक्तियाँ
7	कार्यालयीन स्टेशनरी यथा आवश्यक खुली निविदाओं हेतु प्रशासकीय, वित्तीय, कय व भुगतान की स्वीकृति ।	एक बार में रूपये 50,000 तक	एक बार में रूपये एक लाख तक (बुक ऑफ फाइनेंशिआल पावर भाग-1 एपेन्डीक्स 3 अनुसार कार्यालय प्रमुख को प्रदत्त अधिकार अनुसार	-	-
8	आवर्ती/अनावर्ती स्वरूप की आकस्मिक/दैनंदिनी सामग्री क्रय हेतु व्यय स्वीकृत करना	बिजली, इन्टरनेट लीज लाईन किराया, सम्पत्तिकर, लीज रेन्ट, स्थानीय निकाय कर, पोस्टेज एवं स्पीड पोस्ट, फोटोकॉपी कार्य अनुबंध देयक, सर्विस प्रोवाईडर अनुबंध देयक, कार्यालयीन उपकरण एवं दैनिंदिनी कार्य हेतु अन्य सेवा अनुबंध। वास्तविक आधार पर भुगतान की स्वीकृति आदि	(अ) बिजली, इन्टरनेट लीज लाईन किराया, सम्पत्तिकर, लीज रेन्ट, स्थानीय निकाय कर, पोस्टेज एवं स्पीड पोस्ट, फोटोकॉपी कार्य अनुबंध देयक, सर्विस प्रोवाईडर अनुबंध देयक, एवं दैनिंदिनी कार्य हेतु अन्य सेवा अनुबंध एवं अत्यावश्यक प्रकृति के व्यय वास्तविक आधार पर भुगतान की स्वीकृति आदि	पूर्ण शक्ति	-
9	पुस्तकालय, पुस्तकें, पत्रिकाएं समाचार पत्रों का क्रय की स्वीकृति	एक बार में रूपये 1,000 तक	पूर्ण शक्तियां	-	-
10	विज्ञापन/प्रकाशन, मुद्रण इत्यादि कार्य को मंजूरी देना	-	एक बार में रूपये एक लाख तक	पूर्ण शक्तियां	-

11	दूरभाष स्थापना, देयक भुगतान एवं मोबाईल स्थापना देयक का भुगतान इन्टरनेट, डाटा कार्ड भुगतान	कार्यालय हेतु वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 11-13/2015/नियम/ चार दिनांक 4/11/15 अनुसार	वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 11-13/2015/नियम/ चार दिनांक 4/11/15 अनुसार	-	-
12	अतिथि सत्कार के लिए राशि स्वीकृत करना	एक बार में रूपये दस हजार तक	एक बार में एक लाख तक	एक बार में दो लाख तक	पूर्ण शक्तियां
13	सेमिनार, विज्ञान गोष्ठी, कार्यशाला, मेला, जन-जागृति इत्यादि के आयोजन की अनुमति	-	एक बार में रुपये 10 लाख तक	-	पूर्ण शक्तियां
14	वाहन क्रय	-	वित्त विभाग के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार	-	पूर्ण शक्तियां
15	वाहन मरम्मत	बुक ऑफ फाइनेंसिअल पावर के बिन्दु 6.4 अनुसार 1 बेटरी बदलने का वास्तविक व्यय 2 टायर बदलने का वास्तविक व्यय 3 ट्यूब बदलने का वास्तविक व्यय 4 सर्विसिंग का वास्तविक व्यय 5 प्रतिवर्ष प्रतिवाहन रूपये 20000/- तक अतिरिक्त संधारण व्यय	बुक ऑफ फाइनेंसिअल पावर के बिन्दु 6.4 अनुसार मुख्यालय के वाहन प्रभारी को 1 बेटरी बदलने का वास्तविक व्यय 2 टायर बदलने का वास्तविक व्यय 3 ट्यूब बदलने का वास्तविक व्यय 4 सर्विसिंग का वास्तविक व्यय 5 प्रतिवर्ष प्रतिवाहन रूपये 20000/- तक अतिरिक्त संधारण व्यय	बुक ऑफ फाइनेंसिअल पावर के बिन्दु 6.4 अनुसार प्रतिवाहन रूपये 30,000/- एक वर्ष में	-
16	स्टाफ के वेतन-भत्तों, अन्य संबंधित भुगतानों एवं बैंकिंग संबंधी कार्यो का निष्पादन (राशि निकालने/अंतरण हेतु चैक पर हस्ताक्षर, ऑन लाईन राशि ट्रान्सफर एवं भुगतान, आरटीजीएस, कम्प्यूटराईज बैंकिंग संबंधी कार्य)	क्षेत्रीय कार्यालय के स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ एवं अन्य व्यय हेतु रूपये 5 लाख तक	मुख्यालय के स्टॉफ के वेतन एवं भत्तों के भुगतान संबंधी सम्पूर्ण शक्तियाँ मुख्यालय में डायरेक्टर पर्यावरण/ मुख्य वैज्ञानिक/ प्रशासकीय अधिकारी को 5 लाख तक	-	-
17	अतिरिक्त धारित पद के कार्य हेतु विशेष वेतन	-	शासन निर्देश एवं विशेष वेतन की पात्रता अनुसार पूर्ण शक्तियां	-	-

18	चिकित्सा देयकों की स्वीकृति एवं संबंधितों को भुगतान	–	गंभीर बीमारी में भर्ती होकर कराई गई चिकित्सा के देयकों पर संभागीय संयुक्त स्वास्थ्य संचालक एवं चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा अनुशंसित राशि हेतु पूर्ण शक्तियां	–	–
19	समस्त यात्रा (प्रदेश, देश एवं विदेश) देयकों का आहरण एवं संबंधितों को भुगतान	क्षेत्रीय कार्यालय के स्टॉफ के यात्रा अग्रिम एवं देयक भुगतान हेतु पूर्ण शक्तियॉं	मुख्यालय के स्टॉफ हेतु यात्रा अग्रिम एवं देयक भुगतान हेतु पूर्ण शक्तियॉं वित्त अधिकारी को	–	–
20	समस्त अग्रिम स्वीकृति/भुगतान	–	राज्य शासन द्वारा निर्धारित अग्रिम राशि की सीमा तक पूर्ण शक्तियां	–	–
21	अनुपयोगी सामग्री का अपलेखन	–	बुक ऑफ फाईनेंसिअल पॉवर बिन्दु 4.3 विभागाध्यक्ष की पूर्ण शक्तियॉं	–	–
22	निविदा/विभागीय क्रय समिति के माध्यम से कोटेशन	एक बार में रुपये 50,000/- मूल्य तक की वस्तु का क्रय	भण्डार क्रय नियम अनुसार पूर्ण शक्तियॉं	–	–

प्रशासकीय शक्तियॉं :

क्र	प्रशासकीय शक्तियों की विशिष्टयॉं	क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	राज्य वोर्ड
1	प्रदेश, देश एवं विदेश यात्राओं की स्वीकृति	क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशाला में पदस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदेश के अन्दर की यात्राओं हेतु	वोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदेश के भीतर यात्राओं हेतु	अध्यक्ष के स्वयं, सदस्य सचिव, की समस्त यात्राओं तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु प्रदेश के वाहर एवं विदेश यात्रा अनुमति	–

2	समस्त प्रकार के अवकाश की स्वीकृति	क्षेत्रीय कार्यालय/प्रयोगशाला में पदस्थ अधिकारियो/कर्मचारियों के आकस्मिक/एच्छिक अवकाश हेतु	मुख्यालय के समस्त कर्मचारियों हेतु पूर्ण शक्तियाँ एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के समस्त कर्मचारियों की अर्जित/चिकित्सा एवं अन्य अवकाश हेतु पूर्ण शक्तियाँ	सदस्य सचिव एवं समस्त अधिकारियों (क्षेत्रीय अधिकारियों सहित), तथा अध्यक्ष की निजी पदस्थापना में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश	–
3	वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृति	–	पूर्ण शक्तियां	–	–
4	समस्त वेतन निर्धारण काअनुमोदन	–	पूर्ण शक्तियां	–	–
5	वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के तहत् कार्यवाही	क्षे का/प्रयो में पदस्थ तृतीय/चतुर्थ श्रेणीकर्मियों पर लघु शास्ति अधिरोपित करना तथा विशेष परिस्थिति में निलंबित करना। निलंबन प्रकरणों में एक माह के अन्दर मुख्यालय से अनुमोदन लेना	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु पूर्ण शक्तियाँ समस्त अधिकारियों कर्मचारियों पर लघु शास्ति अधिरोपित करना तथा विशेष परिस्थिति में निलंबित करना । निलंबन प्रकरणों में एक माह के अन्दर अध्यक्ष से अनुमोदन लेना	पूर्ण शक्तियां	–
6	पद निर्माण, सेटअप का पुनर्निर्धारण	–	–	–	पूर्ण शक्तियाँ
7	अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानांतरण	–	तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरण की पूर्ण शक्तियाँ	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के स्थानांतरण की पूर्ण शक्तियाँ	–

8	भरती नियम का प्रस्ताव/संशोधन प्रस्ताव एवं पदोन्नति प्रकरण अनुमोदन	–	तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के पदोन्नति/ क्रमोन्नति समयमान के प्रकरणों की स्वीकृति अधिकार	प्रथम, द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति क्रमोन्नति समयमान के प्रकरणों की स्वीकृति अधिकार	बोर्ड में भरती नियम का प्रस्ताव पारित करना एवं तदोपरांत प्रशासकीय विभाग की सहमति ली जाना।
9	दक्षतारोध को पार करने की स्वीकृति	–	पूर्ण शक्तियाँ	–	–
10	गोपनीय प्रतिवेदनों पर मतांकन	–	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों हेतु प्रतिवेदक अधिकारी	प्रथम, द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिये स्वीकृतकर्ता अधिकारी	–
11	लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू प्रकरण में कार्यवाही	–	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के प्रकरणों में पूर्ण शक्तियाँ	प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के प्रकरणों में पूर्ण शक्तियाँ	–

अन्य शक्तियाँ :

क्र	प्रशासकीय शक्तियों की विशिष्टयाँ	क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य सचिव	अध्यक्ष	राज्य बोर्ड
1	परामर्शी की सेवायें प्राप्त की जाना	–	–	वित्त विभाग के परिपत्र एफ 11-10/2012/ नियम/चार, दिनांक 6/10/2012 अनुसार परामर्शी की सेवायें लेने की पूर्ण शक्तियां	–
2	समस्त प्रकार के अनुबन्धों का निष्पादन	–	पूर्ण शक्तियां	–	–
3	व्हाउचरों पर हस्ताक्षर	क्षेत्रीय कार्यालय संबंधी पूर्ण शक्तियां	मुख्यालय में वित्त अधिकारी	–	–
4	कैशबुक की जांच एवं हस्ताक्षर	क्षेत्रीय कार्यालय संबंधी पूर्ण शक्तियां	मुख्यालय में वित्त अधिकारी	–	–

5	मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन	–	संपूर्ण शक्तियाँ	–
6	अधिवक्ता की नियुक्ति एवं फीस का भुगतान	जिला/सत्र न्यायालय के समक्ष बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर नियुक्ती एवं फीस भुगतान	बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर माननीय एनजीटी, माननीय उच्चतम न्यायायल, माननीय उच्च न्यायालय हेतु अधिवक्ता की नियुक्ति एवं फीस भुगतान की संपूर्ण शक्तियां	विशेष प्रकरणों में नियुक्ति हेतु पूर्ण शक्तियाँ
7	उद्योगों/संस्थानों से बैंक गारन्टी को वापस करना, जप्त करना, समयावधि बढ़ाने संबंधी निर्णय	–	–	पूर्ण शक्तियाँ
8	माननीय एनजीटी के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ती का निर्धारण एवं बसूला	–	–	पूर्ण शक्तियाँ
9	उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयीन वाद दायर करने की अनुमति	क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से प्रदत्त सम्मति प्राधिकार वाले उद्योगों संस्थान हेतु पूर्ण शक्तियाँ।	मुख्यालय स्तर से प्रदत्त सम्मति प्राधिकार वाले उद्योगों संस्थान हेतु पूर्ण शक्तियाँ	–

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
अध्यक्ष,
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं
प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन,
पर्यावरण विभाग

पृष्ठांकन कमांक 12/अध्यक्ष /म.प्र.प्र.नि.बो./2022 भोपाल,दिनांक 17 मार्च, 2022
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. लेखाधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. कार्यालयीन प्रति।

अध्यक्ष
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

//अधिसूचना//

भोपाल दिनांक 17 मार्च, 2022

क्रमांक 317 /1040/2021-32-3 - जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश नियम 1975 की विज्ञप्ति क्रमांक 2396/2017/18-5 यथा संशोधित दिनांक 1/9/2017 को एतद् द्वारा अधिक्रमित किया जाता है।

2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 12 (2) **"सदस्य सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएँ या जो बोर्ड या उसके अध्यक्ष द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किए जाएँ।"** उक्त के संदर्भ में यथोचित आदेश म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी किये जायें।

आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 318/1040/2021/32-3 भोपाल,दिनांक 17 मार्च, 2022
प्रतिलिपिः-

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, मैदा मिल रोड, भोपाल की ओर प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने का कृपया कष्ट करें।
2. अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग

NO-475/040/2021/32-3

अनिरूद्ध मुकर्जी (आई.ए.एस.)
प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं
अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

::संशोधित आदेश::

शक्तियों का प्रत्यायोजन

भोपाल, दिनांक 07 जून, 2022

राज्य बोर्ड की 160 वीं बैठक दिनांक 13/05/2022 के एजेण्डा क्रमांक 2.1 पर लिये गये निर्णय अनुसार प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1145/अध्यक्ष/मप्रप्रनिबो/2022 दिनांक 01/04/2022 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आदेश क्रमांक 1145/अध्यक्ष/मप्रप्रनिबो/2022 दिनांक 01/04/2022 से पूर्व आदेश दिनांक 17/03/2022 के बिन्दु क्रमांक 16 में सदस्य सचिव के कॉलम में अंकित अधिकार में उप पैरा "मुख्यालय में डायरेक्टर (पर्यावरण)/मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी को दिए गए राशि रूपये पाँच लाख के अधिकार" को विलोपित किए जाने की पुष्टि प्रदान करता है।

2. पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 17/3/2022 के बिन्दु क्रमांक-22 के पश्चात् बिन्दु क्रमांक 23 में प्रतिस्थापित किया गया था, **"जिसमें चैक पर हस्ताक्षर करने/आरटीजीएस द्वारा"** को विलोपित करते हुए वित्तीय अधिकार निम्नानुसार प्रत्यायोजित किए जाते हैं:-

(क) रूपये पाँच लाख तक की स्वीकृति मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा दी जायेगी एवं आहरण मुख्य वित्त अधिकारी एवं प्रशासकीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

(ख) रूपये एक करोड़ तक की स्वीकृति सदस्य सचिव द्वारा दी जावेगी एवं आहरण सदस्य सचिव एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(ग) रूपये एक करोड़ से ऊपर की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा दी जायेगी तथा आहरण सदस्य सचिव एवं मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

दिनांक 01 अप्रेल, 2022 के आदेश का शेष अंश यथावत् रहेगा।

(अनिरूद्ध मुकर्जी)
प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं
अध्यक्ष,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

to AO / DQ put upon website

पृष्ठांकन कमांक/ 476/1040/2021/32-3 भोपाल, दिनांक 07-06-2022

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग, भोपाल।
2. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
3. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
4. प्रशासकीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. मुख्य वित्त अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
6. कार्यालीन प्रति।

(अनिरूद्ध मुकर्जी)

प्रमुख सचिव, पर्यावरण एवं

अध्यक्ष,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

AO